फा.सं. 21/1/2012-सा.प्रशा. (भाग)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक 20 सितंबर, 2017

<u>निविदा सूचना</u>

विषयः- सीमेन्स हाईपाथ कॉम्युनिकेशन्स सिस्टम (ईपीएबीएक्स) के अनुबंध हेतु व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा हेतु कोटेशन।

इस विभाग के दिनांक 11 सितंबर, 2017 की पूर्व निविदा सं. 21/1/2012-सा.प्रशा. (भाग) के क्रम में वित्तीय बोली फॉर्म (अनुबंध-II) तथा अनुबंध-I के पैरा 1 में आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया गया है और वेन्डर्स से अनुरोध है कि तदनुसार वित्तीय बोली उद्धृत करें। अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी।

2. निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर, 2017 को अपराहन 3:00 बजे तक है। निविदाओं को उसी दिन अपराहन 4:00 बजे कमरा सं. 213, ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में खोला जाएगा। अन्तिम तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

3. निविदा का ब्यौरा/निविदा दस्तावेज वेबसाइट <u>www.dipam.gov.in</u> से डाउनलोड किया जा सकता है।

(रागेश कांत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24368785

निम्न को प्रतिलिपि :

1. एनआईसी कक्ष को विभाग की वेबसाइट तथा सीपीपी पोर्टल पर प्रदर्शित करने के अनुरोध के साथ।
2. नोटिस बोर्ड।

अनुबंध-I

निबंधन एवं शर्तें

1. वार्षिक रखरखाव अनुबंध के अधीन शामिल किए जाने वाले यंत्रों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

क्र.सं.	विवरण	मात्रा
1.	सीमेन्स हाइपाथ 3550 (2x8x16x36)	02
2.	सीमेन्स हाइपाथ 3550 (2x4x8x4)	01
3.	सिस्टम के साथ स्थापित यूपीएस	01
4.	सीमेन्स ऑप्टीसेट स्टैंडर्ड	14
5.	बीटेल प्लान्स 1+2	02
6.	बीटेल प्लान्स 1+1	07
7.	पुश बटन फोन	25
8.	सीमेन्स कोर्डलेस फोन C675	01
9.	ओपन स्टेज 15टी	18
10.	ओपन स्टेज 15टी की (key) मॉड्यूल	02
11.	यूरोसेट 2025	03
12.	एसएलयू 8 कार्ड	01
13.	टीएलएएन 18 कार्ड	01

2. धरोहर राशि (ईएमडी): निविदाकर्ताओं को आहरण एवं संवितरण अधिकारी निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 5,000/- रुपये की धरोहर राशि निविदाओं के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा/उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. धरोहर राशि की जब्तीः विभाग में निविदा प्राप्त होने के बाद निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि निविदाकर्ता प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

4. धरोहर राशि की वापसीः असफल निविदाकर्ता को धरोहर राशि की वापसी, सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर की जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5. जमानत जमाः सफल निविदाकर्ता को डीडीओ, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नई दिल्ली के पास कार्यनिष्पादन जमानत के तौर पर बंधक एफडीआर के रूप में संविदा के कुल वार्षिक मूल्य के 10% के बराबर राशि ठेके की अवधि के लिए जमा करानी होगी। अनुबंध के किन्हीं निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन की दशा में अनुबंध को रद्द किए जाने के अलावा एजेंसी की कार्य निष्पादन जमानती जमा राशि जब्त की जा सकती है।

6. फर्म को सीमेन्स कम्यूनिकेशन सिस्टम का अधिकृत वितरक/सेवा प्रदाता होना चाहिए।

7. शिकायत का समाधान एक घंटे के अंदर किया जाना चाहिए।

8. भुगतान त्रैमासिक आधार पर इस कार्यालय के इस बात से संतुष्ट होने के बाद किया जाएगा कि प्रदान की गई सेवाएं वांछित स्तर की रही हैं।

9. अनुबंध आरंभ में ठेका दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। दर समस्त अवधि के लिए वैध होगी और अनुबंध की अवधि के दौरान दर में किसी वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। अनुबंध को वार्षिक आधार पर संतोषजनक कार्य निष्पादन और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन अधिकतम कुल 03 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

10. निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पठनीय होनी चाहिए और साफ-साफ भरी होनी चाहिए। बोली आवेदन में यदि कोई कटिंग हो तो वह अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होनी अनिवार्य है। अपूर्ण या सशर्त बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

11. फर्म के कर्मचारियों की ओर से लापरवाही/अकुशलतापूर्वक किए गए किसी कार्य के कारण हुई किसी क्षति के लिए फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी। इस प्रकार, हुई किसी हानि/क्षति की वसूली फर्म से की जाएगी।

12. विभाग प्रमुख के पास उपर्युक्त किन्हीं निबंधनों और शर्तों को वापस लेने/उनमें ढील देने का अधिकार सुरक्षित है, ताकि बाद में पैदा होने वाली किसी समस्या से निपटा जा सके।

13. यदि फर्म की सेवाएं संतोषजनक न हों तो विभाग प्रमुख के पास अनुबंध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस मामले में विभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।

14. तथापि, करार को किसी भी पार्टी द्वारा अग्रिम में एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि एजेंसी अग्रिम में एक माह का नोटिस देने में विफल रहती है तो विभाग द्वारा एजेंसी को देय राशि और कार्य निष्पादन जमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

15. इस अनुबंध से उत्पन्न विवाद, यदि कोई हों, केवल दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

16. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पास किसी/सभी निविदा/निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

(रागेश कांत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24368785

वित्तीय बोली प्रपत्र

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	क्र.सं. 1 से 8 में उल्लिखित सभी मदों के लिए एकमुश्त दर (रु. में)
1.	सीमेन्स हाइपाथ 3550 (2x8x16x36)	02	
2.	सीमेन्स हाइपाथ 3550 (2x4x8x4)	01	
3.	सिस्टम के साथ स्थापित यूपीएस	01	
4.	सीमेन्स ऑप्टीसेट स्टैंडर्ड	14	
5.	बीटेल प्लान्स 1+2	02	
6.	बीटेल प्लान्स 1+1	07	
7.	पुश बटन फोन	25	
8.	सीमेन्स कोर्डलेस फोन C675	01	
9.	ओपन स्टेज 15टी	18	
10.	ओपन स्टेज 15टी की (key) मॉड्यूल	02	
11.	यूरोसेट 2025	03	
12.	एसएलयू 8 कार्ड	01	
13.	टीएलएएन 18 कार्ड	01	
		लागू कर	
		सकल जोड़	

यह प्रमाणित किया जाता है कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नामः

मुहरः

तारीखः

स्थानः